

हिमाचल प्रदेश सरकार  
श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

संख्या: श्रम(ए)4-2 / 2018-पी-II

तारीख:

शिमला-2

25.05.2022

1. कृषि

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि कृषि के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल कर्मकारों के प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2022 से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-एल तारीख 30-07-2020 द्वारा, एक न्यूनतम मज़दूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 30.03.2022 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मज़दूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01-04-2022 से लागू करने की सिफारिश की गई थी ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पुर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत अकुशल कर्मकारों की न्यूनतम मज़दूरी को तारीख 01-04-2022 से 350 रुपए प्रतिदिन या 10,500 रुपए प्रतिमास की दर से संशोधित करते हैं:-

टिप्पणी:-

- समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मज़दूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।
- शिक्षुओं की मज़दूरी शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी ।
- जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता हो, वहां मज़दूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी ।
- हिमाचल प्रदेश के जन-जातीय क्षेत्रों में, मज़दूरी की न्यूनतम दरों से पच्चीस प्रतिशत अधिक की बढ़ौतरी/वृद्धि लागू होगी ।

अकुशल की परिभाषा निम्नलिखित होगी: -

(i) **अकुशल:** अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिसमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव या कोई स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि उप-जीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक होता है ।  
अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा, उसको विभिन्न वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है ।

आदेश द्वारा,

आर०डी० धीमान  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार),

संख्या: श्रम(ए)4-2 / 2018-पार्ट-II तारीख: शिमला-2 25.05.2022

1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।

तारीख: शिमला-2

25.05.2022

- 1 राजस्ता प्राप्ताकरण के रायकृत हानिपत्र प्रदेश सरकार द्वारा।

2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।

3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।

4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।

5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।

6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।

7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।

8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(लैब) एम. डब्ल्यू/07 तारीख 21-04-2022 के संदर्भ में।

9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।

10.गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)  
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार  
(Ph.No.0177-2880551)

हिमाचल प्रदेश सरकार  
श्रम एवं रोजगार विभाग  
अधिसूचना

संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II

तारीख: शिमला-2

25.05.2022

## 2. सड़कों का निर्माण या रखरखाव या निर्माण संक्रियाएं पत्थर तुड़ान और पत्थर पिसाई (कशिंग)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि सड़कों का निर्माण या रखरखाव या निर्माण संक्रियाओं, पत्थर तुड़ान और पत्थर पिसाई/(कशिंग) के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2022 से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948(1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-एल तारीख 30-07-2020 द्वारा, एक न्यूनतम मज़दूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 30.03.2022 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मज़दूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01-04-2022 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मज़दूरी को तारीख 01-04-2022 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग	संशोधित दैनिक	मज़दूरी मासिक
1	2	3
<b>अकुशल कर्मकार:</b>	<b>रुपए</b>	<b>रुपए</b>
भिशती/चिमनी क्लीनर/चौकीदार/डिस्टेम्परर ग्रेड-II/गलेजियर/पलम्बर या वर्कशाप के लिए हैल्पर/रोक कटिंग लेबर/स्टोन ब्रेकर/स्टोन चिस्लर/स्वीपर/ बिटुमेन के लिए स्प्रे मैन/पाइप लाइन मैन /इलैक्ट्रिकल कुली /सिक्योरिटी-गार्ड /बेलदार/ क्लीनर ट्रैक्टर एवं रोड रोलर व कंकरीट मिक्सर/ मज़दूर/ सर्वे बॉय/ वाचमैन / टी बॉय / पीअन(चपरासी)/ ड्रेसर / आयल मैन / ग्रीसर / मैस हेल्पर्ज / बॉय हैल्पर (0 से 5 वर्ष का अनुभव वाले) /खलासी ( 0 से 3 वर्ष का अनुभव वाले) / बिल डिस्ट्रीब्यूटर/मक्कर ।	350	10500
<b>अर्धकुशल कर्मकार:</b>	<b>रुपए</b>	<b>रुपए</b>
कारपेन्टर ग्रेड-II / मैसन ग्रेड-II / स्यूअर मैन / ब्लैक स्मिथ ग्रेड-II / सैनिटरी फिटर ग्रेड-II / पेन्टर/मैल्टर मेट/ स्प्रे-मैन रोडज/ केन-मैन/बधाणी / अपहोलस्टर / फिटर एटैन्डेन्ट/ ब्लैक स्मिथ ( बोट मैन ) / केन-मैन / डिस्टेम्परर ग्रेड-I/फिटर ग्रेड-II फलोर-पॉलिशर/ /स्टोन ड्रेसर/माली वैल-सिंकर/ वहाइट-वाशर/ वर्कशाप मैकेनिक ग्रेड-II, टर्नर-ग्रेड-II/पाइप फिटर ग्रेड-II/ब्रिक मोल्डर/सहायक फिटर/सहायक फायर मैन/सहायक वैलडर/सहायक टर्नर/बैटरी चार्जर	371.77	11153

/ड्रैसर (अहित/अनुभवी)/ हैमरमैन/ कुक/ वल्कनाइज़र/ नोजल मैन/ टनल मैन / एलॉए ट्रोली ऑपरेटर / एटैन्डेन्ट (स्टोर आफिस)/ मकैनिकल एटैन्डेन्ट / टनल जुबली मैन / टनल—मैन / हैल्पर (5 वर्ष और इससे अधिक का अनुभव वाले)/ आयल—क्लीनर / नावगाणी / मेट / हैड—वाचमैन / सहायक—लैवलर / खलासी ( 3 से 8 वर्ष का अनुभव वाले) / स्टोन—ड्रैसर / पम्प—एटैन्डेन्ट / ऑटो इलेक्ट्रिशियन ग्रेड-II / गार्डनर / गेज—रीडर / सहायक लैब एटैन्डेन्ट / ऑटो इलेक्ट्रिशियन / मोटर—मेट / इनक्वाअरी एटैन्डेन्ट / टेलीफोन एटैन्डेन्ट/ स्टोन—ब्रेकर/ रॉक कैरियर ब्रेकर/ स्टोन—कशर

**1<sup>1/2</sup> इंच से 2 इंच**  
**2074.95 रुपए प्रति सौ घन फुट**

**1 इंच से 1½ इंच रुपये 2314.48**  
**रुपए प्रति सौ घन फुट**

#### कुशल कामगार:

	रु.. पै.	रु.. पै.
कारपेन्टर ग्रेड—I मैसन ग्रेड—I / ब्लैक स्मिथ / सेनेटरी फिटर ग्रेड—I /अप—होलसल्टर ग्रेड—I / सहायक पम्प ऑपरेटर / पम्प ऑपरेटर / पम्प ड्राइवर / चार्जमैन ग्रेड-II / जल आपूर्तिफिटर/ कारपेन्टरग्रेड-II / काम्प्रेसर ऑपरेटर / काम्प्रेसर ड्राइवर / दर्जी या टेलर ग्रेड—I/दर्जी या टेलर ग्रेड-II / क्रशर ड्राइवर/ अलंकारिक कार्य के लिए स्टोन—ड्रेसर / पलम्बर ग्रेड—I /पाइप फिटर ग्रेड—I/ ऑटो ड्राइवर / सहायक मकैनिक / मिक्सर ड्राइवर / मिक्सर—ऑपरेटर /संरचानात्मक फिटर ग्रेड—II / वर्कशाप फिटर/ जनरेटर ऑपरेटर / जनरेटर—ड्राइवर / प्लांट शाप फिटर / डीजल इंजन फिटर / ड्राली लाइन फिटर / कशिंग प्लांट फिटर / प्लांट फिटर / जैक हैमर फिटर / इलेक्ट्रीकल फिटर / बन्च फिटर / शेपर / ऑटो फिटर / पाइप लाइन फिटर / रेफ्रिजरेटर प्लांट फिटर / ड्रेक्टर—ऑपरेटर/ शाफ्ट माइनर / कोचरिंग ऑपरेटर / डोजर ऑपरेटर / रोकलेन ऑपरेटर /सकेपर—ऑपरेटर /लोडर ऑपरेटर / केन—ऑपरेटर / युकलिड—ऑपरेटर / वैगन ड्रिल ऑपरेटर / बोरिंग—ऑपरेटर / एस.एल.डी. केन ऑपरेटर/ प्लांट—ऑपरेटर / आइस प्लांट ऑपरेटर या वैल्डर /गैस कटर / टर्नर / ब्लैक स्मिथ /टिन स्मिथ / ड्रैक्शन वैटरी चार्जर / लाइनमैन टेलीफोन ऑपरेटर/खलासी/जमादार / वाइन्डर/ब्लास्टर ड्रिलर /विन्च फिटर/कम्पाउन्डर/पेन्टर / मिलर /क्लाइम्बर / मोल्डर /लेवलरज सॉ मिल कटर/केबल जाइन्टर/ फोरमैन ग्रेड—II /खलासी ( 8 साल से अधिक ) / ड्रेसर ऑपरेटर / ई.एम.ई. / ड्राइवर / कम्प्रेसर/ रौकर शोवेल ऑपरेटर / स्नो कटर ऑपरेटर / लोको—ऑपरेटर/ गलेजड-टाइपड कार्य के लिए ड्रिलर मैसन / वर्क—मिस्ट्री	<b>406.36</b> <b>12191</b>	

/ मोटर-मेट / ट्रैक्टर ड्राइवर / टेलीफोन मकैनिक / डी.जी.सेट  
ऑपरेटर / वर्कशाप फोर मैन ग्रेड- III .

### उच्च कुशल

	रु. पै.	रु. पै.
केवल फर्नीचर के लिए कारपेन्टर / वर्कशाप मकैनिक ग्रेड-I / चार्ज मैन ग्रेड- I / वर्कशाप फोरमैन ग्रेड- I/ टर्नर ग्रेड- I/ मकैनिक आल राउन्डर ऑपरेटर / मैसन/मिस्ट्री और कारपेन्टर मिस्ट्री / संरचनात्मक फिटर ग्रेड- I / सर्वेयर / ड्राफटसमैन / सहायक फोरमैन / मशीनिस्ट/ कम्पाउन्डर (अर्हित ) / रोड रोलर ड्राइवर / बुलडोजर ड्राइवर/ वायरमैन / ऑटो इलेक्ट्रिशियन/ इलेक्ट्रिशियन / कैमिकल एनालाइजर ।	<b>483.17</b>	<b>14495</b>

### लिपिक और गैर-तकनीकी पर्यवेक्षण स्टाफः

	रुपए	रुपए
बिटुमैन टायर इन्सपैक्टर / रोड इन्सपैक्टर / वर्क इन्सपैक्टर / स्टोर-कीपर / स्टोर-मुंशी/ सुपरवाइजर / मीटर -रीडर / लैजर बुकिंग कलर्क / बिल-कलर्क / इरीगेशन बुकिंग कलर्क / पटवारी / कम्प्लेंट एटैन्डेन्ट / फैरो-प्रिंटर / ड्राइवर ( जीप/ कार/ट्रैक्टर) / कलर्क / मैकेनिकल इंसपैक्टर / सहायक स्टोर कीपर / लेखा-लिपिक / स्टेनोग्राफर ।	<b>406.36</b>	<b>12191</b>

### टिप्पणी:-

1. समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. सुरंगों के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दर में बीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी अनुज्ञेय होगी।
6. गैर जन-जातीय क्षेत्रों में अवस्थित निर्माणधीन हाईड्रो इलैक्ट्रिक जल विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवर्गों को मजदूरी न्यूनतम दर में पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी/लागू होगी।
7. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी। जनजातीय क्षेत्रों में निर्माणधीन हाईड्रो इलैक्ट्रिक परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिशत की बढ़ौतरी लागू होगी।

## अकुशल / अर्ध—कुशल / कुशल / उच्च—कुशल कामगार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:—

- (i) **अकुशल:**— अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्ध—कुशल:** अर्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल:** कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च—कुशल:** उच्च—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

### आर०डी० धीमान

अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या: श्रम(ए)4—2 / 2018—पी-II

तारीख: शिमला—2

25.05.2022

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला—4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश—171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(लैब) एम. डब्ल्यू/8/07 तारीख 21-04-2022 के संदर्भ में।
- 9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)  
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार  
(Ph.No.0177-2880551)

## हिमाचल प्रदेश सरकार श्रम एवं रोजगार विभाग अधिसूचना

संख्या: श्रम(ए)4-2 / 2018-पी-II

तारीखः शिमला—२

25.05.2022

### 3. लोक मोटर परिवहन

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि “लोक मोटर परिवहन” के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल कर्मकारों और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों का 01-04-2022 से संशोधित किया जाए:

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-एल तारीख 30-07-2020 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख **30.03.2022** को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ातरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे **01-04-2022** से लाग करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदुरी को तारीख **01-04-2022** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

सामान्य अकुशल कर्मचारिवृन्द (जनरल स्टाफ): 350 रुपए 10500 रुपए  
प्रतिदिन प्रतिमास

(क) चपरासी, चौकीदार, स्टोर-हैल्पर, स्वीपर, पोर्टर तथा दफतरी

(ख) वर्कशाप-स्टाफ (अकृशल )

(ग) वर्कशाप मजदूर, जिसका कोई अनुभव नहीं है।

अर्ध-कुशल 363.08 रुपए 10892 रुपए  
प्रतिदिन प्रतिमास

1. सहायक इलैक्ट्रोशियन
  2. सहायक मैकेनिक
  3. सहायक फिटर
  4. सहायक ब्लैक स्मिथ
  5. सहायक कारपेंटर
  6. सहायक वैल्डर
  7. सहायक टर्नर

8. सहायक बोरिंग बारमैन
9. सहायक मशीनिस्ट
10. सहायक कुशन—मेकर
11. सहायक बोल्केनाइजर
12. सहायक पेंटर
13. सहायक अपहोलस्टर
14. सहायक टायरमैन
15. सहायक स्प्रेमैन
16. सहायक इलैक्ट्रिशियन मकैनिक
17. सहायक रिट्रीडर
18. वर्कशाप मजदूर जिसके पास आई.टी.आई का सर्टिफिकेट हो या जिसकी दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि हो और जिसके पास कोई आई0टी0आई0 का डिप्लोमा न हो
19. सहायक मोल्डर ।

### कुशल-:

मकैनिक, फिटर, ब्लैक स्मिथ, कारपेन्टर, वैल्डर, बोरिंग—वायरमैन, मशीनिस्ट, कुशन मेकर, टिनस्मिथ, वालकेनाइजर, पेंटर, अपहोलस्टर, टायरमैन स्प्रेपेंटर, इलैक्ट्रिशियन, मकैनिक, रीट्रीडर, मोल्डर, टर्नर, । वर्कशॉप मजदूर जिसके पास आई.टी.आई. सर्टिफिकेट हो या जिसकी दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि हो और जिसके पास आईटीआई का डिप्लोमा न हो। आईटीआई सर्टिफिकेट धारक जो उसी ट्रेड में कार्यरत है ।

### उच्च कुशल वर्कशाप स्टाफ

हैड मकैनिक, कारबोरेटर / हैड इलैक्ट्रिशियन / गैरेज सुपर वाइजर ।

जनरल स्टाफ (क्लैरिकल) आदि

रु 396.63 प्रतिदिन

या

रु. 11,899 प्रतिमास

रु0 439.89 प्रतिदिन

या

रु. 13,197

प्रतिमास

### ग्रुप —ए :

आउट ऐंट, आउट एजेंसी कलर्क, टाइपिस्ट, स्टैनो टाइपिस्ट, स्टोर डे बुक—राइटर, कलर्क, सहायक कैशियर, बुकिंग—कलर्क ( रिस्टोरर ) लैजर कीपर, पैट्रोल पम्प अटैन्डेन्ट ।

रु0 396.63

प्रतिदिन या

रु. 11,899

प्रतिमास

### **ग्रुप-बी:**

मुख्य-निरीक्षक, रिसेप्शनिस्ट, निरीक्षक, चैकर, आशुलिपिक ए ग्रेड, स्टेशन सुपरवाइजर, सहायक स्टोरकीपर ए ग्रेड, लेखाकार, कैशियर, टायर-निरीक्षक ।

रु 416.97 प्रतिदिन

या

रु. 12509 प्रतिमास

### **ग्रुप-सी:**

हैड एसिस्टेण्ट / हैड-क्लर्क, ऑडिटर / हैड-कैशियर ।

रु0 491.77

प्रतिदिन

रु. 14,753

प्रतिमास

### **रंनिंग-स्टाफः**

1 ड्राइवर

प्रतिदिन प्रतिमास

रु.444.50 रु.13,335

2 कन्डकटर

रु.405.64 रु.12,169

3 कलीनर-कम-कन्डकटर

रु.379.57 रु.11,387

4 पार्ट-टाइम बुकिंग कर्लक

रु.243.72 रु. 7,312

### **टिप्पणी:-**

1. समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल / अर्द्ध-कुशल / कुशल / उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:-

- (i) **अकुशल**.— अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।

(ii) **अर्ध-कुशल**.— अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमरा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए / किए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमरा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

(iii) **कुशल**.— कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) **उच्च-कुशल**.— उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

## आर०डी० धीमान

अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या: श्रम(ए)4-2 / 2018-पी-II

तारीखः

शिमला-2

25.05.2022

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला ।
  - 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार ।
  - 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
  - 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
  - 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश ।
  - 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।
  - 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
  - 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(लैब) एम. डब्ल्यू/07 तारीख 21-04-2022 के संदर्भ में ।
  9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।
  - 10.गार्ड फाईल ।

(अनिल कुमार कटोच)  
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।  
(Ph.No.0177-2880551)

हिमाचल प्रदेश सरकार

श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

संख्या: श्रम(ए)4-2 / 2018-पी-II तारीख: शिमला-2

25.05.2022

#### 4. दुकानें एवं वाणिज्यिक संस्थान

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "दुकानों एवं वाणिज्य संस्थानों" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2022 से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-एल तारीख 30-07-2020 द्वारा एक न्यूनतम मज़दूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 30.03.2022 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मज़दूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01-04-2022 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मज़दूरी को तारीख 01-04-2022 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

#### कर्मकारों का प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा जहां भोजन, चाय,  
उपलब्ध नहीं करवाई और संयुक्त आवास,  
गई है सुविधा उपलब्ध करवाई  
गई है

#### अकुशल:

हेल्पर / शॉप-ऐसिस्टेंट / पल्लेदार / रुपए 350 प्रतिदिन रुपए 324.47 प्रतिदिन<sup>1</sup>  
चौकीदार / चपड़ासी / स्वीपर / मसालची रुपए 10500 मासिक रुपए 9734 मासिक  
/ गेटमैन / वाटरमैन / क्लीनर / पैकर/  
मजदूर / लेन्डर / अनलेन्डर / मैसेंजर /  
क्लाकरुम अटेंडेन्ट / पोर्टर/भिश्ती / बेलदार  
/ फायरमैन /  
पांडी / पोस्टरमैन / कोई अन्य कर्मकार जो  
अकुशल कार्य कर रहा हो ।

#### अर्धकुशल:

हैडपोर्टर / पैंटरीमैन / काफी टीमेकर / रुपए 369.93 प्रतिदिन तथा रुपए 339.12 प्रतिदिन<sup>2</sup>  
चपातीमैन / सहायक-बेकर / गेट-कीपर  
(सिनेमा) / सहायक लाइनमैन / सहायक  
-आपरेटर / वाइंडर एसीस्टेंट-  
/ बिल-कलैक्टर / कनवैसर / कुक / असिटेंट-  
हलवाई / बुक-बाइंडर / स्टीचर  
/ रूलिंग-कटिंग औक्षनर / माली / रुपए 11098 प्रतिमाह तथा रुपए 10174 प्रतिमाह

सीवरमैन / होटल—गाइड  
 / सहायक मिस्त्री / सहायक—फिटर /  
 सहायक—टर्नर / सहायक/वैल्डर  
 सहायक—इलैक्ट्रिशियन / सहायक/सेल्जमैन  
 / सहायक—बारबर / धोबी / प्रैसमैन /  
 बॉयलर—मैन / फिल्म—रिवांडर/वेटर/  
 वेयरर / ऐसिसटेंट रेडियो मकैनिक / पेंटर  
 / व्हाइट वॉशर / पकौड़ा और चना मेकर /  
 कलर्क / (नॉन मेट्रिक) / सहायक स्टोर  
 कीपर / डिस्ट्रीब्यूटर व सहायक—मशीनमैन/  
 इनक्वायरी अटैन्डेन्ट / टेलीफोन अटैन्डेन्ट/  
 'आई.टी.आई प्रमाण पत्र धारक ।

#### **कुशल:**

ब्लैक स्मिथ / टिनस्मिथ / वाचमेकर /  
 रेडियो मकैनिक / कारपेंटर / पलम्बर / रुपए **406.36** प्रतिदिन रुपए **373.51** प्रतिदिन  
 ड्राइवर /सहायक टेलर/कटर(टेलरिंग) / रुपए **12191** मासिक रुपए **11205** मासिक  
 जनरल मकैनिक/ हलवाई कुक/ कन्फैक्शनर  
 /बेकर/स्टुवार्ड/बटलर/फिटर/ ड्राफ्टसमैन  
 /टेलीफोन—ओपरेटर/कम्पाउंडर / गोल्डस्मिथ  
 /शू—मेकर/ शाल कारपेट वीविंग /  
 कम्पोजिटर / सिनेमा आपरेटर / सेल्जमैन /  
 ड्राइक्लीनर / ड्रायर / बारबर /रेगुलर  
 मशीनमैन / मशीनिस्ट / वेल्डर / मोल्डर /  
 कैशियर/ क्लर्क (मेट्रिक) / मुनीम /  
 रिसैप्शनिस्ट / वेटर/ वियरर /स्टोर—कीपर  
 / हैड वेटर /हैड—वेयरर (वेस्टरन स्टाइल  
 होटल)/ लाइनमैन आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र  
 धारक, जो इसी ट्रेड में कार्य कर रहे हों ।

#### **उच्च—कुशल:**

स्टोर कीपर / क्लर्क (ग्रेजुएट ) / लेखाकार / मुख्य रुपए **422.85** प्रतिदिन रुपए **391.38** प्रतिदिन  
 खजानची / हैड—कुक / हैड—बटलर / हैड—बेकर / रुपए **12686** मासिक रुपए **11741**मासिक  
 हैड—कन्फैक्शनर /हैड—मकैनिक / इलैक्ट्रीशियन / फोरमैन  
 / सुपरवाइजर/ टेलर / कटर (टेलरिंग ) ।

## टिप्पणी:—

- 1, समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3, जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4, यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5, हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी लागू होगी।

**अकुशल / अर्ध-कुशल / कुशल / उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:—**

- (i) **अकुशल:**— अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्ध-कुशल:** अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल:** कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (द्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

**(iv) उच्च-कुशल:** उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

**आर०डी० धीमान**  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

**संख्या: श्रम(ए)4-2 / 2018-पी-II**

तारीख: शिमला-2

25.05.2022

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(लैब) एम. डब्ल्यू/8/07 तारीख 21-04-2022 के संदर्भ में।
9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
10. गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)  
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।  
(Ph.No.0177-2880551)

हिमाचल प्रदेश सरकार  
श्रम एवं रोजगार विभाग  
अधिसूचना

संख्या: श्रम(ए)4-2 / 2018-पी-II

तारीख: शिमला-2

25.05.2022

## 5. वानिकी उद्योग

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि “वानिकी उद्योग” के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2022 से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-एल तारीख 30-07-2020 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 30.03.2022 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01-04-2022 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2022 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

	कर्मकारों के प्रवर्ग	संशोधित न्यूनतम मजदूरी दैनिक	संशोधित न्यूनतम मजदूरी मासिक
	अकुशल कर्मकार		
1	वृक्षों का गिराना	रुपए 350	रुपए 10500
	1. लॉपर (छांगी)	रुपए 369.93	रुपए 11098
	2. फैलर (गिरानी)	रुपए 357.92	रुपए 10738
2	लॉगिंग एण्ड साइंग टिम्बर पासिंग सहित		
	1. ड्रैसर (पंचानी)	रुपए 357.92	रुपए 10738
	2. सायर (चिरानी)	रुपए 439.89	रुपए 13197
	3. ब्लैकस्मिथ	रुपए 413.02	रुपए 12391
3	ढुलान, ढेरी लगाना और शारीरिक श्रम द्वारा इमारती लकड़ी का हस्तांतरण:		
	1. ढुलाई के लिए मजदूर।	रुपए 357.92	रुपए 10738
	2. इमारती लकड़ी को लादने और उतारने के लिए मजदूर।	रुपए 357.92	रुपए 10738
4	रज्जुमार्ग द्वारा इमारती लकड़ी की ढुलाई:		
	1. स्पैन मिस्त्री कम सुपरवाइजर	रुपए 439.89	रुपए 13197
	2. स्पैन मिस्त्री	रुपए 413.02	रुपए 12391

5	पक्की नाली, (वॉटर स्लाइड), पत्थर (ड्राई स्लाइड), नाला बहान और दरिया बहान और (रिवर फलोटिंग) द्वारा ढुलाईः	
	1. मोहरी वाला मिस्त्री	रुपए 471.27
	2. तारू	रुपए 452.33
	3. असिस्टेंट मिस्त्री / (हेल्पर मिस्त्री)	रुपए 422.85
	4. दरियामैन	रुपए 452.33
	5. घालू	रुपए 384.72
	6. जमादार	रुपए 384.72
6	<b>यत्रीकृत लोगिंग और लकड़ी की निकासी:</b>	
	1. सर्वेयर	रुपए 442.53
	2. स्कार्फ लाइन आपरेटर	रुपए 413.02
	3. ट्रक ड्राइवर	रुपए 387.43
	4. कम्प्रेशर ड्राइवर	रुपए 387.43
7	<b>कलैरिकल स्टाफ :</b>	
	1. मैनेजर	रुपए 509.43
	2. एकाउन्टेंट	रुपए 393.38
	3. मुन्शी / टाइपिस्ट कलर्क	रुपए 357.92
8	<b>सॉ मिल वर्कर :</b>	
	1.बैंड सॉ मिस्त्री	रुपए 413.02
	2.सुपरवाइजर	रुपए 409.07
	3.हैंड मिस्त्री	रुपए 413.02
	4.बॉयलर ड्राइवर	रुपए 413.02
	5.एसिस्टेंट मिस्त्री	रुपए 363.08
	6.पलेनर मिस्त्री	रुपए 363.08
	7.हैल्पर	रुपए 357.92
	8.कटर मैन	रुपए 357.92
9	<b>कत्था निकासी :</b>	
	1.फैलर तथा चिप्पर	रुपए 357.92
	2. कत्था सुपरवाइजर/कत्था प्रौसेसर	रुपए 357.20

### उच्च कुशल

बॉयलर एटैप्डन्ट (प्रथम श्रेणी)  
ओवरसियर, हैडफोरमैन

रुपए 483 दैनिक      रुपए 14490 मासिक

## टिप्पणी:-

- 1 समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2 शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3 जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4 यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5 हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) **अकुशल**.— अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्ध-कुशल**: अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल**: कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल**: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

**आर०डी० धीमान**  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(लैब) एम. डब्ल्यू/8/07 तारीख 21-04-2022 के संदर्भ में।
9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)  
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।  
(Ph.No.0177-2880551)

हिमाचल प्रदेश सरकार  
श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

संख्या: श्रम(ए)4-2 / 2018-पी-II

तारीख:

शिमला-2

25.05.2022

**6. रसायन एवं रासायनिक उत्पाद**

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "रसायन और रसायनिक उत्पादों" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दैनिक दरों को 01-04-2022 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबच्चों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-एल तारीख 30-07-2020 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 30.03.2022 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01-04-2022 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2022 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग	संशोधित न्यूनतम दरें
अकुशल:	दैनिक मासिक
	रूपए रूपए
	350 10500

अर्धकुशल:	दैनिक मासिक
	रूपए रूपए

एसिसटेंट इलैक्ट्रीशियन, एसिसटेंट फिटर, ऐसिसटेंट टर्नर, एसिसटेंट 360.92 10828 वैल्डर, एसिसटेंट मोल्डर, एसिसटेंट प्लांट ओपरेटर, एसिसटेंट ब्लैकस्मिथ, एसिसटेंट-कापरमैन, री-इरीगेशन एसिसटेंट, जमादार, ईस्ट मैन, ईस्ट-कल्टीवेटर, स्विच बोर्ड अटेंडेंट, वायरमैन, पोस्टलमैन, फायरमैन, आयलमैन, पम्पमैन ग्रेड-I, मशीन लेवलर, सलैक्टर कटर-कम-मार्किट सैलर, अम्पुलर हैगमैन, आई.टी.आई प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट) धारक।

**कुशलः**

**दैनिक मासिक**

साल्टमैन, इलैक्ट्रीशियन, फिटर, कापरमैन, टर्नर, मोल्डर, ब्लैकस्मिथ, प्लांट आपरेटर, मेसन, कारपेंटर, एसिटेंट-फोरमैन, हैड-जमादार, बॉयलर एटेंडेंट ग्रेड- ॥ वर्कशाप फोरमैन, इलैक्ट्रीशियन फोरमैन ईंजन ड्राइवर, ड्राफ्टसमैन, एसिस्टेंट-कैमिस्ट, मशीनमैन, कैशियर / क्लर्क (मैट्रिकुलेट), सेल्ज मैन, रिसेप्शनिस्ट, टाइपिस्ट, स्टोरकीपर आई०टी०आई० प्रमाण (सर्टिफिकेट) धारक जो उसी ट्रेड में कार्यरत हैं ।

**रूपए रूपए**

**406.36 12191**

**दैनिक मसिक**

**उच्च-कुशलः**

बॉयलर अटेंडेंट (प्रथम श्रेणी ),ओवर सीयर, हैड फोरमैन ।

**रूपए रूपए**

**483.17 14495**

**टिप्पणीः**

1. समान के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी ।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी ।
  
4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी ।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी ।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) **अकुशलः**— अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिवित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

(ii) अर्ध-कुशल: अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

(iii) **कुशल:** कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

## आरोडी० धीमान

अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या: श्रम(ए)4-2 / 2018-पी-II तारीख: शिमला-2 25.05.2022

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(लैब) एम. डब्ल्यू/8/07 तारीख 21-04-2022के संदर्भ में।
9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)  
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।  
(Ph.No.0177-2880551)

हिमाचल प्रदेश सरकार  
श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

संख्या: श्रम(ए)4-2 / 2018-पी-II

तारीख:

शिमला-2

25.05.2022

### 7. इंजीनियरिंग उद्योग

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "इंजीनियरिंग उद्योग" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दैनिक दरों को 01-04-2022 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-एल तारीख 30-07-2020 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 30.3.2022 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01-04-2022 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2022 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

	दैनिक	मासिक
अकुशल	रुपए 350	रुपए 10500

### अर्धकुशल:

टेपर ग्रेड-    , टर्नर ग्रेड-    , ड्रिलर ग्रेड-    , रोमर ग्रेड-    , शेयर मैन ग्रेड-    , मशीनमैन, मशीनिस्ट / आपरेटर ग्रेड-    , ब्रजर ग्रेड-    , हैड स्पीनिंग बाइंडर / लाइनर ग्रेड-    , प्रैस आपरेटर ग्रेड-    , स्प्रे पेंटर ग्रेड-    , ट्रांसफर फिक्सर ग्रेड-    , असैम्बलर ग्रेड-    , कोबलर, रबर रोजिन कटर, टेलर ग्रेड-    , मैटिरियल चैकर, फ्रेम फिटर, नम्बरिंग मैन, फ्रेम सैंडर, इलैक्टोप्लेटर ग्रेड-    , मोपर ग्रेड-    , ग्राइंडर ग्रेड-    , पिकलर, पालिशमैन, बूफरमैन, हैड-मैकैनिक, आपरेटर ग्रेड-    , थ्रैड / रोलर आपरेटर ग्रेड-    , बुक स्कयू मशीन आपरेटर ग्रेड-    , फीडर ग्रेड-    , डाइमेकर ग्रेड-    , वैल्डर ग्रेड-    , टिनस्मिथ ग्रेड-    , पाइपरीडर, हेमरमेन ग्रेड-    , इलैक्ट्रीक लाइनमैन ग्रेड-    , बाउचर इन्सपैक्टर ग्रेड-    , लिस्टर डीजल इंजन ड्राइवर ग्रेड    , ऑयलमैन	रुपए 360.92	रुपए 10828
--	----------------	---------------

### कुशल:-

टेपर ग्रेड-   , टर्नर ग्रेड-   , ड्रिलर ग्रेड-   , शेपर ग्रेड-   , शेपर मैन ग्रेड-   , स्लाटरमैन ग्रेड-   , मशीनिस्ट ऑपरेटर / ब्रजर ग्रेड-   , लाइनर ग्रेड-   , स्प्रे पैन्टर ग्रेड-   , ट्रांसफर मिक्सर ग्रेड-   , प्रैस ऑपरेटर ग्रेड-   , असैम्बलर ग्रेड-   , टेलर ग्रेड-   , इलैक्ट्रोप्लेटर ग्रेड-   , मोपर ग्रेड-   , ग्राइंडर ग्रेड-   ,	रुपए 406.36	रुपए 12191
--	----------------	---------------

हैडमशीन आपरेटर ग्रेड— ॥, थ्रैड और रोलर मशीन आपरेटर ग्रेड— ॥, बुक स्क्रू मशीन आपरेटर ग्रेड— ॥, गोल्ड ड्रा मशीन आपरेटर ग्रेड— ॥, फिटर ग्रेड— ॥, कारपैंटर / पैटर्न मेकर ग्रेड— ॥, डाईमेकर ग्रेड— ॥, साइस्टर ग्रेड— ॥, वैल्डर ग्रेड— ॥, टिनस्मिथ ग्रेड— ॥, हैमरमैन ग्रेड— ॥, ब्लैकस्मिथ ग्रेड— ॥, टूलसैटर ग्रेड— ॥, इलैक्ट्रिकल लाइनमैन ग्रेड— ॥, इलेक्ट्रिशियन ग्रेड— ॥, आरमैचर वाइंडर और कॉएल वाइंडर ग्रेड— ॥, केबल ज्वाइंटर ग्रेड— ॥, वाऊचर इंस्पैक्टर ग्रेड— ॥, लिस्टर डीजल इंजन ड्राइवर ग्रेड— ॥, मोल्डर ग्रेड— ॥, सुपरवाइजर आईटी० आई० प्रमाण पत्र धारक, जो उसी ट्रेड में कार्यरत है ।

### उच्च-कुशलः—

टर्नर ग्रेड— ।, ग्राइडिंग मशीन आपरेटर ग्रेड— ।, शेपर मैन ग्रेड— ।, सलाटरमैन ग्रेड— ।, मिलर ग्रेड— ।, इलैक्ट्रोप्लेटर ग्रेड— ।, गोल्ड ड्रॉ मशीन आपरेटर ग्रेड— ।, फिटर ग्रेड— ।, कारपैंटर / पैटर्न मेकर ग्रेड— ।, डाईमेकर ग्रेड— ।, एन्वेवर ग्रेंड— ।, ब्लैकस्मिथ ग्रेड— ।, डाईसैटर ग्रेड— ।, टूल सैटर ग्रेड— ।, इलैक्ट्रिशियन ग्रेड— ॥	रूपए 483.17	रूपए 14495
---	-------------	------------

### क्लेरिकल स्टाफः

कैशियर (मैट्रिकुलेट) क्लर्क, सेल्जमैन, टाइपिस्ट, स्टोरकीपर ।	रूपए 375.62	रूपए 11269
--	-------------	------------

### टिप्पणीः—

1. समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी ।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी ।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी ।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी ।

### अकुशल / अर्ध-कुशल / कुशल / उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:-

- (i) **अकुशलः—** अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है । अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है ।

- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

**आर०डी० धीमान**  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II	तारीख:	शिमला-2	25.05.2022
1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।			
2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।			
3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।			
4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।			
5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।			
6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।			
7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।			
8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(लैब) एम. डब्ल्यू/8/07 तारीख 21-04-2022 के संदर्भ में।			
9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।			
10. गार्ड फाईल।			

(अनिल कुमार कटोच)  
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार  
(Ph.No.0177-2880551)

हिमाचल प्रदेश सरकार  
श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

संख्या: श्रम(ए)4-2 / 2018-पी-II      तारीख: शिमला-2

25.05.2022

**8.चाय बागान (टी प्लांटेशन)**

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "चाय बागान (टी प्लांटेशन)" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2022 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-एल तारीख 30-07-2020 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 30.03.2022 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ावती को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01-04-2022 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पुर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2022 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग	संशोधित न्यूनतम मजदूरी
चाय बागान में फील्ड कर्मकार पौधारोपण, उखाड़ने, स्प्रे करने, खाद देने, रूपए	रूपए
छायावरण (शेड लापिंग) के लिए, निराई, काट-छाट करने, गुडाई करने, 350 दैनिक	10500
तुड़ाई आदि के कार्य में अकुशल कर्मकार के नाम से ज्ञात नियोजित।	मासिक

**ए—ग्रेड पत्तियां—यदि पत्तियों का तुड़ान करने वाला 12 किलोग्राम से अधिक चाय पत्तियां तोड़ता है, तो उसे 25.32 रुपए प्रतिकिलो अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे।**

**बी ग्रेड पत्तियां—यदि पत्तियों का तुड़ान करने वाला 13 किलोग्राम से अधिक चाय की पत्तियां तोड़ता है, तो उसे 20.04 रुपए प्रतिकिलो अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे।**

**सी ग्रेड पत्तियां—यदि पत्तियों का तुड़ान करने वाले प्रतिदिन 16 किलोग्राम से अधिक चाय की पत्तियां तोड़ता हैं/तोड़ती हैं तो उसे 14.94 रुपए प्रतिकिलो अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे। पत्तियां तोड़ने के लिए नियोजित पीस रेट कर्मकारों को कमशः चाय पत्तियों के -'ए', 'बी' व 'सी' ग्रेड के लिए 25.32 रुपए, 20.04 रुपए और 14.94 रुपए प्रति किलो की दर से मिलेंगे।**

**अर्धकुशल :**

चाय कारखाने और चाय पौधरोपण में लगाए गए कर्मकारों को **355.95** रुपए प्रतिदिन, **10679** रुपए प्रतिमास मिलेंगे ।

### **कारखाना :**

इसमें लिफट मजदूर, (पत्तियों को सुखाने वाला), निस्तेज मजदूर, रैलिंग रूम वर्कर, शिपिटंग मजदूर, फर्मेंटिंग रूम कर्मकार, टी बाएज, सार्टर्ज, टी-मेकर्ज टाइम कीपर तथा कैरियर (झाली) शामिल हैं ।

रुपए **350** दैनिक और

रुपए **10500** मासिक

### **प्लांटेशन :**

रुपए **350** रुपए दैनिक

रुपए **10500** मासिक

क्लीनर, असिस्टेंट क्लीनर, बगीचा असिस्टेंट, मोहरीज इत्यादि, जो फील्ड वर्क का रिकार्ड रखते हैं तथा इसमें स्वीपर माली तथा मेट भी शामिल होंगे ।

## **क्लैरिकल और नॉन-टेक्निकल सुपरवाइजरी स्टाफ**

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. लेखाकार                        | रुपए <b>535.02</b> प्रतिदिन रुपए <b>16051</b> प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ्त आवास।                               |
| 2. लिपिक                          | रुपए <b>406.36</b> प्रतिदिन रुपए <b>12191</b> प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ्त आवास।                               |
| 3. मुन्शी                         | रुपए <b>425.92</b> प्रतिदिन रुपए 12778 प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ्त प्रसुविधाएं जो लिपिक को अनुज्ञेय हैं।      |
| 4. चपरासी /<br>चौकीदार /<br>चौधरी | रुपए <b>355.95</b> प्रतिदिन रुपए <b>10679</b> प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ्त प्रसुविधा जो लिपिक जो अनुज्ञेय हैं। |

	दैनिक	मासिक
5. कम्पाउन्डर	रुपए <b>495.61</b>	रुपए <b>14868</b>
6. ड्राइवर (जीप/कार/ट्रैक्टर )	रुपए <b>444.50</b>	रुपए <b>13335</b>
7. मकैनिक	रुपए <b>499.60</b>	रुपए <b>14988</b>
8. असिस्टेन्ट मकैनिक	रुपए <b>442.53</b>	रुपए <b>13276</b>
9. इलैक्ट्रीशियन-कम-मकैनिक ग्रेड - ।	रुपए <b>499.60</b>	रुपए <b>14988</b>
10. इलैक्ट्रीशियन-कम-मकैनिक ग्रेड - ॥	रुपए <b>442.53</b>	रुपए <b>13276</b>

### **टिप्पणी:**

1. समान के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।

4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदर्भ में जाएगी।
4. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ातरी लागू होगी।

**अकुशल / अर्ध-कुशल / कुशल / उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:-**

- (i) **अकुशल**:- अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्ध-कुशल**: अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्ग के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्ग के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

आदेश द्वारा,

**आर०डी० धीमान**  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

- संख्या: श्रम(ए)4.2 / 2018—पार्ट-II      तारीख: शिमला—2      25.05.2022**
- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
  - 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
  - 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
  - 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
  - 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
  - 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला—4।
  - 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
  - 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश—171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(लैब) एम. डब्ल्यू/8/07 तारीख 21-04-2022 के संदर्भ में।
  9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
  - 10.गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)  
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार  
(Ph.No.0177-2880551)

हिमाचल प्रदेश सरकार  
श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

संख्या: श्रम(ए)4-2 / 2018-पी-II

तारीख:

शिमला-2

25.05.2022

**9. कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-2 के खण्ड-ट में  
यथापरिभाषित विनिर्माण प्रक्रिया सहित स्थापना।**

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "कारखाना अधिनियम, 1948" की धारा-2 के खण्ड-(ट) में यथा परिभाषित विनिर्माण प्रक्रिया के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2022 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-एल तारीख 30-07-2020 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 30.03.2022 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01-04-2022 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2022 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

अकुशल कर्मकार	रुपए 350 प्रतिदिन या रुपए 10500 प्रतिमास
अर्ध-कुशल	रुपए 360.92 प्रतिदिन या रुपए 10828 प्रतिमास
कुशल और लिपिकीय कर्मचारिवृन्द(स्टाफ)	रुपए 406.36 प्रतिदिन या रुपए 12191 प्रतिमास
उच्च कुशल	रुपए 483.17 प्रतिदिन या रुपए 14495 प्रतिमास

टिप्पणी:

- समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- जहाँ कसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।

4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

**अकुशल / अर्ध—कुशल / कुशल / उच्च—कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:-**

- (i) **अकुशल**:- अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्ध—कुशल**:- अर्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल**:- कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च—कुशल**:- उच्च—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

**आर०डी० धीमान**  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या: श्रम(ए)4-2 / 2018-पी-II

तारीख:

शिमला-2

25.05.2022

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(लैब) एम. डब्ल्यू/8/07 तारीख 21-04-2022 के संदर्भ में।
9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)  
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार  
(Ph.No.0177-2880551)

हिमाचल प्रदेश सरकार  
श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

संख्या: श्रम(ए)4-2 / 2018-पी-II

तारीख: शिमला-2

25.05.2022

**10. होटल और रेस्टोरेंट**

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "होटल और रेस्टोरेंट" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2022 से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-एल तारीख 30-07-2020 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 30.03.2022 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01-04-2022 से लागू करने की सिफारिश की गई थी ;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2022 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

**संशोधित मजदूरी**

**कर्मकारों का प्रवर्ग**

1.

**अकुशल:**

हैल्पर / चौकीदार / चपरासी / स्वीपर / मसालची / गेटमैन / वाटरमैन / मसेंजर / क्लोकरुम अटेंडेंट / पोर्टर / भिश्ती / बेलदार / फायरमैन / पांडी / पोस्टर मैन / कोई अन्य कामकार जो अकुशल श्रेणी का कार्य करता हो ।

जहां कोई प्रसुविधा नहीं संयुक्त आवास की करवाई गई है प्रसुविधा उपलब्ध करवाई गई है

2

रूपए.

3.

रूपए

रूपए 350 दैनिक रूपए 324.47 दैनिक

रूपए 10500 मासिक

रूपए 9734 मासिक

**अर्धकुशल कर्मकार**

पैट्रीमैन / कॉफी-टी मेकर / चपातीमैन / सहायक बेकर / कुक / सहायक हलवाई / बुक बांडर / स्टिचर / रूलिंग कटिंग / ऑक्शनर / माली / होटल गाइड / असिस्टेंट मिस्त्री / असिस्टेंट फिटर / सीवरमैन / असिस्टेंट टर्नर / असिस्टेंट	रूपए-369.93	रूपए 340.11
प्रतिदिन	प्रतिदिन	
रूपए 11098 मासिक	रूपए 10203 मासिक	

वैल्डर / असिस्टेंट इलैक्ट्रीशयन / असिस्टेंट सेल्जमैन / असिस्टेंट बार्बर / धोबी / प्रैसमैन / बॉयलरमैन / फिल्म रिवांइडर / वाटर बेयरर / असिस्टेंट रेडियो मकैनिक / पेंटर / व्हाइट वॉशर / पकौड़ा और चना मेकर / क्लर्क (नॉनमैट्रिक) / असिस्टेंट स्टोर कीपर, डिस्ट्रीबूटर और असिस्टेंट मशीनमैन / इनकवायरि एटैन्डेन्ट / टेलीफोन एटैन्डेन्ट / आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र धारक, जो अन्य ट्रेड में कार्यरत है ।

<b>कुशल कर्मकार:</b>	रूपए	रूपए
----------------------	------	------

झाइवर / हलवाई / कुक / कन्फैक्शनर / रूपए <b>406.36</b> दैनिक	रूपए <b>373.51</b> दैनिक
बेकर / स्टीवार्ड / बटलर / ड्राफ्टसमैन / रु० <b>12191</b> मासिक	रु. <b>11205</b> मासिक
टेलीफोन ऑपरेटर / रिसैप्शनिस्ट / वेटर / वेयरर / स्टोर कीपर / हैड वेटर / हैड बेयरर (वेस्टर्न स्टाइल होटल ) आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र धारक जो उसी ट्रेड में कार्यरत है ।	

<b>उच्च—कुशल:</b>	रूपए	रूपए
-------------------	------	------

स्टोर कीपर / क्लर्क (ग्रेजुएट ) / अकाउटेंट / हैड खजानची / हैड—कुक / हैड—बटलर / हैड—बेकर / हैड—कन्फैक्शनर / हैड—मकैनिक / इलैक्ट्रीशियन / फोरमैन / सुपरवाइजर / टेलर / कटर (टेलरिंग ) ।	रु. <b>422.85</b> दैनिक	रु. <b>391.38</b> दैनिक
	रु० <b>12686</b> मासिक	रु. <b>11741</b> मासिक

### टिप्पणी:

1. समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी ।
3. जहाँ कसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी ।
4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी ।

5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ातरी लागू होगी।

**अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:-**

- (i) **अकुशल**:- अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उप-जीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्ध-कुशल**:- अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल**:- कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल**:- उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

**आर०डी० धीमान**  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(लैब) एम. डब्ल्यू/07 तारीख 21-04-2022 के संदर्भ में।
9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)  
 अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
 हिमाचल प्रदेश सरकार।  
 (Ph.No.0177-2880551)

हिमाचल प्रदेश सरकार  
श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

संख्या: श्रम(ए)4-2 / 2018-पी-II

तारीख: शिमला-2

25.05.2022

## 11. निजी शैक्षणिक संस्थान

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "निजी शैक्षणिक संस्थानों" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2022 से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-एल तारीख 30-07-2020 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 30.03.2022 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01-04-2022 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2022 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

अकुशल कर्मकार	रुपए 350 प्रतिदिन या	रुपए 10500 प्रतिमाह
अर्ध-कुशल	रुपए 369.93 प्रतिदिन या	रुपए 11098 प्रतिमाह
कुशल	रुपए 406.36 प्रतिदिन या	रुपए 12191 प्रतिमाह
उच्च कुशल	रुपए 422.85 प्रतिदिन या	रुपए 12686 प्रतिमाह

### टिप्पणी:-

1. समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदर्भ नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

## अकुशल / अर्ध-कुशल / कुशल / उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:-

- (i) **अकुशल**:- अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उप-जीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्ध-कुशल**:- अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्ग के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्ग के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल**:- कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल**: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

### आर०डी० धीमान

अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या: श्रम(ए)४-२/२०१८-पी-II

तारीख: शिमला-२

25.05.2022

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-४।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(लैब) एम. डब्ल्यू/8/07 तारीख 21-04-2022 के संदर्भ में।
9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)

अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।  
(Ph.No.0177-2880551)

हिमाचल प्रदेश सरकार  
श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

संख्या: श्रम(ए)4-2 / 2018-पी-II

तारीख:

शिमला-2

25.05.2022

**12. हाइड्रो विद्युत परियोजनाएं**

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "हाइड्रो विद्युत परियोजनाएं" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2022 से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948(1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-एल तारीख 30-07-2020 द्वारा, न्यूनतम मज़दूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 30.03.2022 को हुई थी ,जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को सन्देय न्यूनतम मज़दूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01-04-2022 को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मज़दूरी को तारीख 01-04-2022 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

(1) अकुशल कर्मकार	न्यूनतम	मज़दूरी
	दैनिक	मासिक
चपरासी, पम्प ऑपरेटर का सहायक, कन्क्रीट पम्प ऑपरेटर का ₹.350	₹.350	10500
सहायक,पम्प अटैन्डेन्ट, जेडब्ल्यूआर क्रेन ऑपरेटर का सहायक,		
प्लांट ऑपरेटर का सहायक,एक्सकवेटर ऑपरेटर का सहायक,		
कन्क्रीटिंग प्लांट ऑपरेटर का सहायक, लोडर ऑपरेटर का		
सहायक, टेमरॉक ऑपरेटर का सहायक, मैकेनिक का		
सहायक,टरनर का सहायक,इलैक्ट्रीशियन का सहायक, ओटो		
इलैक्ट्रीशियन का सहायक,वेल्डर का सहायक, फिटर का सहायक,		
कारपेन्टर का सहायक, भारी मोटर यान चालक का सहायक,		
खलासी का सहायक, कम्परेशर अटेन्डेट, जनरेटर अटेन्डेट, टीएम		
अटेन्डेट, कन्क्रीट मिक्वर प्लांट ऑपरेटर का सहायक, फायर मैन		
का सहायक, स्टोन ड्रेसर का सहायक, हेड वॉच मैन का		

सहायक, लेबोरेट्री असिस्टेन्ट का सहायक, गेज रीडर का सहायक, टाइम कीपर का सहायक, डीजल जनरेटर सेट ऑपरेटर का सहायक, जनरेटर ऑपरेटर का सहायक, वायरलेस ऑपरेटर का सहायक, इंजन फिटर का सहायक, डीजल इंजन फिटर का सहायक, पाइप फिटर का सहायक, पुजारी का सहायक, क्लीनर –कम–बेलदार,वॉशर मैन, वाशर मेड, ऑफिस बॉय, कले क्लीनर, सहायक बूमर, ऑटोमोबाइल फिटर का सहायक, मसालची, एअर कंडीशनिंग प्लांट सहायक, सुपरवाइजर का सहायक, मैस सहायक, सफाई कर्मचारी ।

### **अर्ध–कुशल कर्मकार :–**

कनिष्ठ पम्प ऑपरेटर, कनिष्ठ कन्कीट पम्प ऑपरेटर, कनिष्ठ रु.371.77	रु. 11153
जेडब्ल्यूआर क्रेन ऑपरेटर, कनिष्ठ प्लांट ऑपरेटर, कनिष्ठ नोजलमैन, कनिष्ठ एक्सकेवेटर ऑपरेटर, कनिष्ठ कन्कीटिंग प्लांट ऑपरेटर, कनिष्ठ लोडर ऑपरेटर, कनिष्ठ टेमरॉक ऑपरेटर, कनिष्ठ मैकेनिक, कनिष्ठ ओटो इलैक्ट्रीशियन, कनिष्ठ वेल्डर, कनिष्ठ फिटर, कनिष्ठ टायर फिटर, कनिष्ठ पेन्टर, कनिष्ठ पलम्बर कनिष्ठ डेन्टर, कनिष्ठ कारपेन्टर, सिक्योरिटी गार्ड, खलासी (तीन वर्ष का अनुभव) कनिष्ठ कम्प्रेसर अटैन्डैण्ट, जनरेटर अटेन्डेट, लोकोमोटिव अटैन्डैण्ट, कन्कीट मिक्चर अटेन्डेट, सहायक फायर मैन, स्टोन ड्रेसर, लेबोट्री सहायक, गेज रीडर, टाइम कीपर, डीजल जनरेटर सेट ऑपरेटर, जनरेटर ऑपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर, कनिष्ठ डीजल इंजन फिटर, कनिष्ठ पाइप फिटर, दूरभाष अटैण्डेण्ट, सहायक सर्वेयर, कार्यालय अटेन्डेट, कनिष्ठ ऑयलर, कनिष्ठ ड्रिलर, कनिष्ठ जेसीबी ऑपरेटर, कनिष्ठ स्क्रेपर, पुजारी, सहायक स्टोर कीपर, सहायक स्टोर मुन्शी, कम्पलेंट अटैन्डैण्ट, कनिष्ठ इलैक्ट्रिशियन, माली ।	

### **कुशल कर्मकार :–**

डोजर ऑपरेटर, ग्रेडर ऑपरेटर, लोडर ऑपरेटर, बैचिंग प्लांट रु.406.36	रु.12191
ऑपरेटर, क्रिंग ऑपरेटर, एक्सकेवेटर ऑपरेटर, सीएमटी क्रेन ऑपरेटर, 26 टन डम्पर ऑपरेटर, प्लांट ऑपरेटर, गैन्ट्री ऑपरेटर, जेसीबी ऑपरेटर लोकोमोटिव ऑपरेटर, टेमरॉक/जम्बो ऑपरेटर, मैकेनिक, टर्नर, वेल्डर, ड्रिलर, नोजल मैन फिटर, स्टील फिक्सर, लोहार, ब्लास्टर, कारपेन्टर, ओटो इलैक्ट्रिशियन, पेन्टर, डेन्टर, मेसन, पलम्बर, बार बाइन्डर, टायर फिटर, सीएमटी ऑपरेटर,	

ए०सी० प्लांट ऑपरेटर, मेरलो ऑपरेटर, वर्क इन्सपैक्टर, सुपरवाइजर, कैम्प इन्चार्ज, नॉन टेक्निकल सुपरवाइजर, (माईनिंग बलास्टिंग) चालक, मोबाइल क्रेन ऑपरेटर, बकोह ऑपरेटर, हाइड्रो क्रेन ऑपरेटर, सर्वेयर, स्क्रेप ऑपरेटर, बॉबकेट ऑपरेटर, स्कूप ऑपरेटर, गेरोटिंग पम्प ऑपरेटर, मोर्टर बाइंडर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, केशियर, स्टोर कीपर, लेखा क्लर्क, कर्लक, कंप्यूटर ऑपरेटर, कुक, खलासी (पांच वर्ष से अधिक का अनुभव), और धोबी ।

### **उच्च— कुशल कर्मकार :—**

वरिष्ठ क्रेन ऑपरेटर, वरिष्ठ बैचिंग प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ ट्रेलर रु.483.17	रु.14495
ऑपरेटर, वरिष्ठ डम्पर ऑपरेटर, टनल बोरिंग शीन ऑपरेटर, वरिष्ठ प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ हेवी अर्थ मूविंग मशीन ऑपरेटर, वरिष्ठ डोजर ऑपरेटर, वरिष्ठ लोडर ऑपरेटर, वरिष्ठ सीई प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ कारपेन्टर, वरिष्ठ मकैनिक, वरिष्ठ ड्रिलर, वरिष्ठ लोहार, वरिष्ठ इलैक्ट्रिशयन, वरिष्ठ बार बाइन्डर, वरिष्ठ ओटो इलैक्ट्रिशयन, वरिष्ठ फिटर, वरिष्ठ टायर फिटर, वरिष्ठ टर्नर, वरिष्ठ बेल्डर, वरिष्ठ डेन्टर, चालक (भारी परिवहन यान), टावर क्रेन ऑपरेटर, वरिष्ठ वेल्डर एक्सरे, केबल ज्वाइटर, वरिष्ठ ब्लास्टर, 40 टन डम्पर ऑपरेटर, वरिष्ठ जम्बो ऑपरेटर, फोरमैन, गनमैन, वरिष्ठ ए०सी० प्लांट ऑपरेटर, वर्कशॉप मैकेनिक, कम्पाउंडर, कैमिकल एनालाइजर, लेबोरेटरी एसिस्टेन्ट, फार्मासिस्ट, नर्स, स्टेनोग्राफर, एकाउटेन्ट खलासी (आठ वर्ष से अधिक का अनुभव) ।	

### **टिप्पणी:—**

1. समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी ।
3. जहाँ कसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (फीस वर्क) के आधार पर किया जाता है वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी ।

4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. सुरगों के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दर में बीस प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी अनुज्ञेय होगी।
6. गैर जन-जातीय क्षेत्रों में अवस्थित निर्माणाधीन हाइड्रो इलैक्ट्रीक जल विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवर्गों को मजदूरी की न्यूनतम दर में पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी लागू होगी।
7. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जन-जातीय क्षेत्रों में न्यूनतम दर में पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी लागू होगी। जनजातीय क्षेत्रों में निर्माणाधीन हाइड्रो इलैक्ट्रीक परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिशत की बढ़ोतरी लागू होगी। मजदूरी की न्यूनतम दरों की गणना निम्न दिए गए उदाहरण के अनुसार होगी।

	कर्मकार का प्रवर्ग	मजदूरी की न्यूनतम दर (प्रतिदिन) (₹०)	गैर-जनजातीय क्षेत्रों में स्थित निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं में 25% वृद्धि की स्वीकार्यता (प्रतिदिन) (₹०)	स्तम्भ संख्या 3 + 4 के अनुसार कुल मजदूरी बनी (प्रतिदिन) (₹०)	स्तम्भ संख्या 5 के अनुसार मजदूरी की न्यूनतम दरों के ऊपर 20 % सुरंग भत्ता की स्वीकार्यता (प्रतिदिन) (₹०)	न्यूनतम मजदूरी की कुल स्वीकार्यता (प्रतिदिन) (₹०)
1	2	3	4	5	6	7
(क)	अकुशल	350	87.5	437.5	87.5	525
(ख)	अर्ध-कुशल	371.77	92.94	464.71	92.94	557.65
(ग)	कुशल	406.36	101.59	507.95	101.59	609.54
(घ)	उच्च कुशल	483.17	120.79	603.96	120.79	724.75

**अकुशल / अर्ध-कुशल / कुशल / उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:-**

- (i) **अकुशल**:- अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उप-जीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्ध-कुशल**: अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्ग के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्ग के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

(iii) **कुशल:** कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) **उच्च-कुशल:** उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

**आर०डी० धीमान**  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

**संख्या: श्रम(ए)4-2 / 2018-पी-II**      तारीख:      शिमला-2      **25.05.2022**

समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।

2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।

3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।

4 वरिष्ठ निजि सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।

5 वरिष्ठ विशेष निजि सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।

6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।

7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।

8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(लैब) एम. डब्ल्यू/8/07 तारीख 21-04-2022 के संदर्भ में।

9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।

10.गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)  
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।  
(Ph.No.0177-2880551)

हिमाचल प्रदेश सरकार  
श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

संख्या: श्रम(ए)4-2 / 2018-पी-II

तारीख:

शिमला-2

25.05.2022

**13. फार्मास्यूटिकल उद्योग**

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "फार्मास्यूटिकल उद्योग" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2022 से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खन्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-एल तारीख 30-07-2020 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 30.03.2022 को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को सन्देय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01-04-2022 को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2022 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

**कर्मकारों के प्रवर्ग**

अकुशल	न्यूनतम	मजदूरी
	दैनिक	मासिक
पैकिंग हैल्पर, मशीन हैल्पर, लेबोरेटरी हैल्पर, स्टोर हैल्पर, रूपए 350	रूपए 350	रूपए 10500
हाउस कीपिंग हैल्पर, चपरासी,		

**अर्ध-कुशल :—**

तकनीशियन (डी0 फार्मा), फिटर (आईटीआई), मेन्टिनेन्स रूपए 360.92 रूपए 10828 (आईटीआई), पीडब्ल्यू ऑपरेटर, माली, सिक्योरिटी गार्ड, एसीसटेन्ट स्टोरकीपर, एसीसटेन्ट स्टोर मुन्शी, कम्प्लेन्ट अटेन्डेट |

**कुशल :—**

ऑफिसर (बी फार्मा), टैक्नीकल सुपरवाइजर (आईटीआई रूपए 406.36 रूपए 12191 डिप्लोमा, डी फार्मा), ऑपरेटर, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, इलैक्ट्रिशियन, स्टोरकीपर, एकाउन्ट्स क्लर्क, क्लर्क,

कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर ।

### उच्च कुशलः—

सेल्ज ऑफिसर, सेल्ज एगजिक्यूटिव, सेल्ज प्रमोशन इम्पलाई, रूपए 483.17 रूपए 14495

मैडिकल एण्ड सेल्ज रिप्रेजेनेटेटिव, बी0 फार्मा, एकाउन्टेन्ट,  
बीएससी कैमिस्ट, एमएससी कैमिस्ट और स्टेनो ग्राफर ।

### टिप्पणीः

1. समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी ।
3. जहाँ कसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता है वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी ।
4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी ।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी लागू होगी ।

**अकुशल / अर्ध—कुशल / कुशल / उच्च—कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:—**

- (i) **अकुशलः**— अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं या माल की विविधता भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्ध—कुशलः** अर्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशलः** कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो ।

(iv) उच्च—कुशल: उच्च—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

**आर०डी० धीमान**  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

**संख्या: श्रम(ए)4-2 / 2018-पी-II**                    **तारीख:**                    **शिमला-2**                    **25.05.2022**

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(लैब) एम. डब्ल्यू/8/07 तारीख 21-04-2022 के संदर्भ में।
9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)  
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।  
(Ph.No.0177-2880551)

हिमाचल प्रदेश सरकार  
श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

संख्या: श्रम(ए)4-2 / 2018-पी-II

तारीख: शिमला-2

25.05.2022

## 14. अस्पताल/नर्सिंग होम और किलनिक

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "अस्पताल/नर्सिंग होम और किलनिक" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को **01-04-2022** से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-एल तारीख 30-07-2020 द्वारा, न्यूनतम मज़दूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख **30.03.2022** को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को सन्देय न्यूनतम मज़दूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख **01-04-2022** को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मज़दूरी को तारीख **01-04-2022** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

### कर्मकारों के प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा जहां भोजन चाय और उपलब्ध नहीं करवाई संयुक्त आवास सुविधा गई है उपलब्ध करवाई गई है

### अकुशल:—

हैल्पर, कलीनर, चौकीदार, वॉच मैन, चपरासी, रुम ब्याय, आफिस ब्याय और मसालची।	रुपए 350 दैनिक	रुपए 324.47 दैनिक
	रुपए 10500 मासिक	रुपए 9734 मासिक

### अर्ध-कुशल :—

किलनिक अटेन्डेट, असीसटेन्ट लैबोरेटरी	रुपए 369.93 दैनिक	रुपए 339.12 दैनिक
तकनीशियन, सिक्योरिटी गार्ड, स्वीपर, ऑपरेशन थियेटर असीसटेन्ट, असीसटेन्ट स्टोर कीपर,	रुपए 11098 मासिक	रुपए 10174 मासिक

असीसटेन्ट स्टोर मुन्शी, कम्पलेन्ट अटेन्डेट, और  
वार्ड ब्याय और वार्ड अटैन्डेंट (0 से 3 वर्ष अनुभव)

### कुशल :-

रिसेप्शनिस्ट फार्मासिस्ट, कम्पाउण्डर, लेबोरेटरी रूपए 406.36 दैनिक रूपए 373.51 दैनिक तकनीशियन, एक्सरे तकनीशियन, एएनएम, ट्रेंड रूपए 12191 मासिक रूपए 11205 मासिक दाई, इलैक्ट्रिशियन, रेडियो ग्राफर ईसीजी आपरेटर, एक्सरे डार्करूम एसीसटेन्ट, ओवन आपरेटर, ऑक्सीजन प्लांट आपरेटर, हीटिंग प्लांट कन्ट्रोलर एसीसटेन्ट चालक, सीएसएसडी एसीसटेन्ट, ऑपरेशन थियेटर तकनीशियन, आई रिफ्रैक्शनिस्ट स्टोर कीपर एकाउन्टस कलर्क, कलर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कैशियर, फिटर, पलम्बर, सुपरवाइजर, कुक, धोबी, वार्ड ब्याय और वार्ड एटेन्डेंट(3 वर्ष से ऊपर का अनुभव)।

### उच्च कुशल :-

स्टाफ नर्स, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, वरिष्ठ रूपए 422.85 दैनिक रूपए 391.38 दैनिक इलैक्ट्रिशियन, वरिष्ठ तकनीशियन, वरिष्ठ रेडियो रूपए 12686 मासिक रूपए 11741 मासिक ग्राफर, वरिष्ठ कम्पाउण्डर, एकाउन्टेन्ट, स्टेनो ग्राफर।

### टिप्पणी:-

1. एक ही प्रकार और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ कसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता है वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदर्भ नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल / अर्ध-कुशल / कुशल / उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:-

- (i) **अकुशल**— अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्ध—कुशल**— अर्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल**— कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च—कुशल**— उच्च—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

**आर०डी० धीमान**  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

**संख्या: श्रम(ए)4-2 / 2018-पी-II**      **तारीख:**      **शिमला-2**      **25.05.2022**

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या1-16/78(लैब) एम. डब्ल्यू/8/07 तारीख 21-04-2022 के संदर्भ में।
9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)  
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार  
(Ph.No.0177-2880551)

हिमाचल प्रदेश सरकार  
श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

संख्या: श्रम(ए)4-2 / 2018-पी-II

तारीख: शिमला-2

25.05.2022

**15. घरेलू कर्मकार**

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "घरेलू कर्मकार" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य कर्मकारों के प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2022 से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खन्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-एल तारीख 30-07-2020 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 30.03.2022 को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को सन्देय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01-04-2022 को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2022 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

**कर्मकारों के प्रवर्ग**

जहां कोई प्रसुविधा जहां भोजन, चाय और उपलब्ध नहीं करवाई संयुक्त आवास सुविधा गई है उपलब्ध करवाई गई है

**अकुशल:-**

हेल्पर आया, कलीनर, मसालची, वॉच मैन और वॉशर	रुपए 350 दैनिक	रुपए 296 दैनिक
मैन	रुपए 10500 मासिक	रुपए 8880 मासिक

**अधृ-कुशल:-**

सिक्योरिटी गार्ड और माली	रुपए 369.93 दैनिक	रुपए 306.88 दैनिक
	रुपए 11098 मासिक	रुपए 9206 मासिक

## **कुशलः—**

कुक और चालक

रूपए 406.36 दैनिक

रूपए 326.92 दैनिक

रूपए 12191 मासिक

रूपए 9808 मासिक

## **टिप्पणीः—**

1. समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ कसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता है वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी लागू होगी।

**अकुशल / अर्ध—कुशल / कुशल / उच्च—कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:-**

- (i) **अकुशलः—** अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्ध—कुशलः—** अर्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशलः—** कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (द्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) उच्च-कुशलः— उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

**आर०डी० धीमान**  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

**संख्या: श्रम(ए)4-2 / 2018-पी-II**      तारीख:      शिमला-2      **25.05.2022**

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(लैब) एम. डब्ल्यू/8/07 तारीख 21-04-2022 के संदर्भ में।
9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)  
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार  
(Ph.No.0177-2880551)

हिमाचल प्रदेश सरकार  
श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

संख्या: श्रम(ए)4-2 / 2018-पी-II

तारीख: शिमला-2

25.05.2022

## 16. सफाई कर्मचारी नियोजन

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "सफाई कर्मचारी नियोजन" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2022 से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-एल तारीख 30-07-2020 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 30.03.2022 को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01-04-2022 को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2022 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

### कर्मकारों के प्रवर्ग

	न्यूनतम	मजदूरी
अकुशल :—	दैनिक	मासिक
स्वीपर/सफाई कर्मचारी, बेलदार और कार्टमैन।	रुपए 350	रुपए 10500
अर्ध-कुशल :—		

वर्क सुपरवाइजर, सेनेटरी जमादार, एसीस्टेन्ट स्टोर कीपर, रुपए 360.92 रुपए 10828 एसीस्टेन्ट स्टोर मुन्शी और कम्पलेन्ट अटैन्डेंट।

### कुशल:—

चालक, मेसन, प्लम्बर, स्टोरकीपर, एकाउन्टस क्लर्क, कम्प्यूटर रुपए 406.36 रुपए 12191 ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर।

### उच्च कुशल:—

कनिष्ठ अभियन्ता, सेनेटरी इन्सपैक्टर और स्टेनो ग्राफर। रुपए 483.17 रुपए 14495

## टिप्पणी:-

1. समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता है वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी लागू होगी।

**अकुशल / अर्ध—कुशल / कुशल / उच्च—कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:-**

- (i) **अकुशल:**— अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्ध—कुशल:** अर्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल:**— कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) उच्च—कुशलः— उच्च—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

**आर०डी० धीमान**  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या: श्रम(ए)4-2 / 2018-पी-II

तारीख:

शिमला-2

**25.05.2022**

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(लैब) एम. डब्ल्यू/8/07 तारीख 21-04-2022 के संदर्भ में।
9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)  
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार  
(Ph.No.0177-2880551)

हिमाचल प्रदेश सरकार  
श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

संख्या: श्रम(ए)4-2 / 2018-पी-II

तारीख: शिमला—2

25.05.2022

**17. सुरक्षा सेवाएं**

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "सुरक्षा सेवाएं" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2022 से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-एल तारीख 30-07-2020 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 30.03.2022 को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01-04-2022 को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2022 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

**अकुशल:—**

	दैनिक	मासिक
हेल्पर और वॉच मैन	रुपए 350	रुपए 10500

**अर्ध-कुशल :—**

सिक्योरिटी गार्ड, एसिसटैन्ट स्टोरकीपर, एसिसटैन्ट स्टोर मुन्शी और रुपए 360.92 रुपए 10828 कम्प्लेन्ट अटैन्डेंट |

**कुशल:—**

सिक्योरिटी सुपरवाइजर, हेड वॉचमैन, स्टोरकीपर, अकाउन्टस क्लर्क, क्लर्क, रुपए 406.36 रुपए 12191 कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर |

**उच्च कुशल :—**

सिक्योरिटी ऑफिसर, सिक्योरिटी मैनेजर, स्टेनो ग्राफर और रुपए 483.17 रुपए 14495 अकाउन्टेन्ट |

## टिप्पणी:-

1. समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ कसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता है वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. सुरंगों के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दर में बीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी अनुदेय होगी।
6. गैर जनजातीयों क्षेत्रों में अवस्थित निर्माणधीन हाईड्रो-इलैक्ट्रीक जल परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवर्गों की मजदूरी न्यूनतम दर में पच्चीस प्रतिशत से अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।
7. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी लागू होगी। जनजातीय क्षेत्रों में निर्माणधीन हाईड्रो-इलैक्ट्रीक परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिशत की बढ़ौतरी लागू होगी।

## अकुशल / अर्ध-कुशल / कुशल / उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:-

- (i) **अकुशल**:- अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्ध-कुशल**:- अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

(iii) कुशलः— कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) उच्च-कुशलः उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

**आर०डी० धीमान**  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

**संख्या: श्रम(ए)4-2 / 2018-पी-II**      तारीख:      शिमला-2      **25.05.2022**

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(लैब) एम. डब्ल्यू/8/07 तारीख 21-04-2022 के संदर्भ में।
9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)  
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।  
(Ph.No.0177-2880551)

हिमाचल प्रदेश सरकार  
श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

संख्या: श्रम(ए)4-2 / 2018-पी-II

तारीख: शिमला—2

25.05.2022

**18. मन्दिर और धार्मिक स्थान / धर्मशालाएं**

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि “मन्दिर और धार्मिक स्थान / धर्मशालाएं” के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को **01-04-2022** से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-एल तारीख 30-07-2020 द्वारा, न्यूनतम मज़दूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख **30.03.2022** को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मज़दूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख **01-04-2022** को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मज़दूरी को तारीख **01-04-2022** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

**कर्मकारों के प्रवर्ग**

जहां कोई प्रसुविधा जहां भोजन चाय और उपलब्ध नहीं संयुक्त आवास सुविधा करवाई गई है उपलब्ध करवाई गई है

**अकुशल:-**

चपरासी, मसालची, ऑफिस ब्याय और बेलदार।

रुपए 350 दैनिक रुपए 324.47 दैनिक

रुपए 10500 मासिक रुपए 9734 मासिक

**अर्ध-कुशल:-**

चपाती मैन, स्वीपर, रूम ब्याय, कनिष्ठ गोस्ट अटेन्डेन्ट, रुपए 369.93 दैनिक रुपए 339.12 दैनिक टेम्पल अटेन्डेट, भोग रूम अटेन्डेट, हॉल अटेन्डेट, रुपए 11098 मासिक रुपए 10174 मासिक सेवादार, सिक्योरिटी गार्ड, माली, एसिस्टेन्ट स्टोरकीपर, एसिस्टेन्ट स्टोर मुन्शी और कम्प्लेन्ट अटेन्डेंट।

## **कुशल :—**

वरिष्ठ गेस्ट अटेन्डेंट, रिसेप्शनिस्ट, पुजारी, पंडित, रूपए 406.36 दैनिक रूपए 373.51 दैनिक कुक, मौलवी ग्रन्थी पादरी स्टोरकीपर, अकाउन्टस रूपए 12191 मासिक रूपए 11205 मासिक कलर्क, कलर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर ।

## **उच्च कुशल:—**

सुपरवाइजर, सुपरिनेंडेन्ट, रागी, बजन्नी, भजन रूपए 422.85 दैनिक रूपए 391.38 दैनिक गायक, स्टेनोग्राफर और अकाउन्टेन्ट, रूपए 12686 मासिक रूपए 11741 मासिक

## **टिप्पणी:-**

1. समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ कसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता है वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी लागू होगी।

## **अकुशल / अर्ध—कुशल / कुशल / उच्च—कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:—**

- (i) **अकुशल:**— अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्ध—कुशल:**— अर्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

- (iii) **कुशल**— कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल**: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

**आर०डी० धीमान**  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

**संख्या: श्रम(ए)4-2 / 2018-पी-II**                    तारीख:                    शिमला-2                    **25.05.2022**

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(लैब) एम. डब्ल्यू/8/07 तारीख 21-04-2022 के संदर्भ में।
9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)  
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।  
(Ph.No.0177-2880551)

हिमाचल प्रदेश सरकार  
श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

संख्या: श्रम(ए)4-2 / 2018-पी-II

तारीख: शिमला-2

25.05.2022

**19. टोल टैक्स बैरियरों में कार्यरत कर्मकार**

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "टोल टैक्स बैरियरों" में कार्यरत कर्मकारों के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2022 से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-एल तारीख 30-07-2020 द्वारा, न्यूनतम मज़दूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 30.03.2022 को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मज़दूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01-04-2022 को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मज़दूरी को तारीख 01-04-2022 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

**कर्मकारों के प्रवर्ग**

**अकुशल कर्मकारः—**

चपरासी, ऑफिस ब्याय और मसालची ।

न्यूनतम

दैनिक

रूपए 350

मज़दूरी

मासिक

रूपए 10500

**अर्ध-कुशलः—**

हैल्पर कुक, कैश कलेक्टर, एसिस्टेन्ट स्टोर कीपर, एसिस्टेन्ट स्टोर रूपए 360.92 या रूपए 10828 मुन्शी, सिक्योरिटी गार्ड और कम्प्लेन्ट अटैन्डेंट । प्रतिदिन प्रतिमाह

**कुशलः—**

इलैक्ट्रिशियन, स्टोरकीपर, अकाउन्ट्स क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर रूपए 406.36 या रूपए 12191 ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर । प्रतिदिन प्रतिमाह

**उच्च कुशल :-**

सुपरवाइजर, सुपरिनेन्डेंट, स्टेनोग्राफर और अकाउन्टेन्ट ।

रूपए 483.17 या रूपए 14495

प्रतिदिन

प्रतिमाह

## टिप्पणी:-

1. समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ कसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर में पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी लागू होगी।

**अकुशल / अर्ध—कुशल / कुशल / उच्च—कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:-**

- (i) **अकुशल**:- अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्ध—कुशल**:- अर्ध—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल**:- कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

- (i) उच्च—कुशलः— उच्च—कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

**आर०डी० धीमान**

अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

**संख्या: श्रम(ए)4—2 / 2018—पी-II**

तारीख:

शिमला—2

**25.05.2022**

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजि सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजि सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजि सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला—4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश—171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(लैब)  
एम. डब्ल्यू/8/07 तारीख 21-04-2022 के संदर्भ में।
9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)

अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),

हिमाचल प्रदेश सरकार

(Ph.No.0177-2880551)